

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

पुनः - 350/2019
बानः -

1. अमरसिंह पुत्र सरदारा कौम बाजीगर निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी ।
2. रामसिंह पुत्र सरदारा कौम बाजीगर निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी ।

बनाम्

वादी

1. जगराजसिंह वल्द हीरा (फौत) ।
 - 1/1 जगतार सिंह वल्द जगराजसिंह कौम मजहबी निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी ।
 - 1/2 कालूसिंह वल्द जगराजसिंह कौम मजहबी निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी ।
 - 1/3 बलवन्तसिंह वल्द जगराजसिंह कौम मजहबी निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी ।
 - 1/4 देवकौर पुत्री जगराजसिंह पत्नी तेजासिंह कौम मजहबी निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी ।
2. तारासिंह वल्द भजना (फौत) ।
 - 2/1 तरसेमसिंह वल्द तारासिंह कौम मजहबी निवासी वार्ड 4 सुरेवाला त0 टिब्बी ।
 - 2/2 बूटासिंह वल्द तारासिंह कौम मजहबी निवासी वार्ड 4 सुरेवाला त0 टिब्बी ।
 - 2/3 विमला बाई पुत्री तारासिंह पत्नी सुखदेवसिंह कौम मजहबी निवासी वार्ड सं0 11 संगरिया त0 संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
3. सोहनसिंह वल्द भजना (फौत) ।
 - 3/1 अशोक वल्द सोहनसिंह कौम मजहबी निवासी वार्ड 4 सुरेवाला त0 टिब्बी ।
4. खुशीराम पुत्र सरदारा कौम बाजीगर निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
5. श्याम सिंह पुत्र सरदारा कौम बाजीगर निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
6. श्रवणसिंह पुत्र सरदारा कौम बाजीगर निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
7. फतो बाई पुत्री सरदारा पत्नी जम्मूराम कौम बाजीगर निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी ।
8. पालो बाई पुत्री सरदारा पत्नी पप्पूराम कौम बाजीगर निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी ।
9. कुल्लेबाई पुत्री सरदारा पत्नी जीतराम कौम बाजीगर निवासी चिश्तियां त0 व जिला हनुमानगढ़ ।
10. तहसीदार राजस्व टिब्बी



प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी एस जोईया व एनपीवर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 14 एनजीसी के प0न0 202/258 के मु0न0 4 के किला न0 18 ता 20 व प0न0 205/262 के मु0न0 15 के किला न0 7 ता 9, 11 ता 14 व प0न0 205/262 के मु0न0 15 के किला न0 17 में से वादीगण को प0न0 205/262 के मु0न0 15 के किला न0 7 ता 9, 11 ता 14, 17 की कुल 2.024 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं इसी अनुसार वादीगण का खाता व लगान अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। व शेष आराजी चक 14 एनजीसी के प0न0 202/258 के मु0न0 4 के किला न0 18 ता 20 की कुल 0.759 है0 में प्रतिवादीगण सं0 1/1 ता 1/4 को संयुक्त रूप से 0.379 है0 व प्रतिवादी सं0 2/1 ता 2/3 संयुक्त रूप से व प्रतिवादी सं0 3/1 को 0.380 है0 में बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किये जावें। व चक 14 एनजीसी के खाता सं0 94/72 के

सहायक सरदार पुत्र भागाराम के हिस्सा से प0न0 205/262 के मु0न0 15 का किला
17 को कम किया जावे। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम
मालिक का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया
जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 19/9/25 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)

सहायक कलेक्टर R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

